समक्ष विनी मित्तल और एच.एस. भल्ला, ज.जे.

अमरदीप तथा अन्य – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य तथा अन्य – *उत्तरदाताओं*,

सीडब्ल्यूपी संख्या *9731* साल *2006*

8 अगस्त, 2006

भारत का संविधान, 1950 – अनुछेद 226 – एमबीबीएस/ बीडीएस पाठ्यक्रम के निजी अनएडेड मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश – निजी स्ववित्त सहायता रहित संस्थानों के लिए अलग प्रवेश परीक्षा और स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत करें– चुनौती उपचार– प्रॉस्पेक्टस की प्रावधानिकता यह निर्धारित करती है कि निजी प्रबंधित असहायता संस्थानों में सीटें संघ के द्वारा आयोजित एक अलग परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी– राज्य प्रवेश समिति द्वारा निजी कॉलेज संघ को उनकी अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और स्वतंत्र परामर्श करने की अनुमति दी गई– राज्य सरकार के पर्यवेक्षकों ने संघ द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा और परामर्श को यथाशी निगरानी की– प्रतिस्थापकों की क्रिया किसी अवैधता और ग़लती से ग्रस्त नहीं है– याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय, कि प्रॉस्पेक्टस खुद ही हरियाणा राज्य में स्ववित्त सहायता न प्राप्त मेडिकल/ डेंटल संस्थानों के संघ द्वारा एक अलग प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान देता था। इन परिस्थितियों में, ऐसे संस्थानों या संघ की ओर से किसी प्रकार की सहमति पर सवाल नहीं उठाया गया।

(पैरा 15)

आगे निर्णीत, कि निजी असहायक गैर-संख्यक संस्थानों को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विकसित करने की स्वतंत्रता है, और उस स्थिति में जब एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले एक से अधिक संस्थान होते हैं, तो सभी उक्त संस्थान जो एक ही राज्य में स्थित हैं, वे मिलकर एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि राज्य केवल तब अपनी स्वयं की प्रक्रिया का स्थान लेगा जब किसी संस्थान या संस्थान समूह द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अन्नय, अनुचित और गैर-पारदर्शी माना गया हो।

(पैरा 24)

आगे निर्णीत, कि राज्य प्रवेश समिति ने हरियाणा राज्य के निजी स्ववित्त मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के संघ को उनकी अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और स्वतंत्र परामर्श करने की अनुमति दी, बशर्ते कि यह परीक्षा और परामर्श सरकारी पर्यवेक्षकों के द्वारा मॉनिटर/सुपरवाइज की जाएगी। राज्य सरकार के पर्यवेक्षकों ने संघ द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की यथाशी निगरानी की। परामर्श भी सरकारी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में की गई थी। प्रवेश पास भी उक्त सरकारी पर्यवेक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। हम नहीं मानते कि प्रतिस्थापकों की क्रिया में कोई अवैधता है या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अपेक्षा किए गए कानून के विपरीत है।

(पैरा 25)

भारत का संविधान, 1950 – अनुछेद 226 – हरियाणा राज्य द्वारा जारी की गई *अधिसूचना दिनांक 22 वीं दिसंबर, 2005– एमडीएस पाठ्यक्रम में निजी अनएडेड मेडिकल कॉलेज में प्रवेश– कॉलेज प्रवेश परीक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित – चुनौती उपचार – क्या कॉलेज द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2005 को जारी की गई अधिसूचना के विपरीत है – निर्णय, नहीं – राज्य प्रवेश समिति द्वारा कॉलेज को एक स्वतंत्र और अलग प्रवेश परीक्षा आयोजन करने की मंजूरी दी गई– याचिककर्ताओं ने कॉलेज को अनुमति प्रदान करने को चुनौती नहीं दी– केवल परीक्षा आयोजन को चुनौती दी गई, हालांकि कॉलेज को प्रदान की गई अनुमति के परिणामस्वरूप, यह योग्य नहीं है– याचिका खारिज।*

निर्णय, कि याचिककर्ताओं ने राज्य प्रवेश समिति द्वारा उत्तरदायी संख्यांक 4 को अनुमति देने को चुनौती नहीं दी, जबकि प्रतिवाधि कॉलेज को एक स्वतंत्र और अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। इस परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि याचिककर्ताओं द्वारा दी गई चुनौती, जो केवल परीक्षा आयोजन को लेकर है, जिसमें परिणामस्वरूप उसे अनुमति दी गई, वह योग्य नहीं है। एक बार जब कॉलेज को दी गई अनुमति पर चुनौती नहीं दी गई है, तो याचिककर्ताओं को यह दावा नहीं सुना जा सकता है कि कॉलेज द्वारा आयोजित स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा किसी भी अधिकार के बिना थी।

(पैरा 33)

आर.एस. मित्तल, तारा चंद धानवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता, और अतुल गौर, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता सीडब्ल्यूपी संख्या *9731* साल *2006* में

सुश्री अलका चत्रथ, याचिकाकर्ताओं के लिए सीडब्ल्यूपी संख्या 9514 साल 2006 में

अशोक जिंदल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा राज्य के लिए प्रतिवादी

राजीव अत्मा राम, अजय जैन के साथ वरिष्ठ वकील, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 के लिए आर.एस. टैकोरिया, एडवोकेट, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के लिए.

निर्णय

विनय मित्तल, माननीय न्यायधीश

(1) यह निर्णय 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 9731 और 9514 वाली दो याचिकाओं का निपटान करेगा। इन दोनों ममोलों में तथ्य अलग-अलग है।

C.W.P. 2006 की संख्या 9731

(2) इस महकमे के सामने याचिककर्ताओं ने हरियाणा राज्य के निजी स्ववित्त मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम की सीटों को भरने के लिए आरंभ की गई चयन प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत की है, जिसे हरियाणा के निजी स्ववित्त मेडिकल कॉलेजों के संघ (उत्तरदायी संख्यांक 4) और एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के संयोजक, एम. एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस और रिसर्चेस, मुल्लाना, उत्तरदायी संख्यांक 5 द्वारा आरंभ किया गया था। प्रमुख रूप से उक्त शिकायत केवल इस आधार पर की गई है कि उत्तरदायी संख्यांक 4 और 5 ने हरियाणा राज्य में निजी स्ववित्त कॉलेजों की एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम की सीटें भर नहीं रहे थे, जो हरियाणा राज्य और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरने के लिए आयोजित की गई सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए थी। याचिकर्ताओं ने दावा किया कि हरियाणा राज्य के निजी स्ववित्त कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम की सीटें भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए उद्देश्यों के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणामस्वरूप तैयार और प्रकाशित की गई मेरिट सूची के हिसाब से भर जानी चाहिए थी। याचिकर्ताओं के अनुसार, उत्तरदायी संख्यांक 4 और 5 द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एम.ए.पाई. फ़ाउंडेशन के मामले में निर्धारित कानून के खिलाफ है, जिसे व्याख्या इस्लामिक अकादेमी ऑफ एडुकेशन तथा पी ए इनामदार के मामले में की गई थी। याचिका में उत्तरदायी संख्यांक 1 से 3, यानी हरियाणा राज्य और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा तैयार और प्रकाशित की गई मेरिट सूची के अनुसार हरियाणा राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों/संस्थानों की सीटें भरने के लिए दिशा- निर्देश देने चाहिए।

(3) 2006 के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 14 मार्च, 2006 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को 2006 के लिए हरियाणा राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस और बीएचएमएस कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन और परिणाम की घोषणा करने के लिए सक्षम प्राधिकृति के रूप में घोषित किया। इसके अलावा, पी.टी. बी.डी. शर्मा, पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक को 2006 के लिए उक्त कोर्स में परामर्श आयोजन और प्रवेश तय करने के लिए सक्षम प्राधिकृति के रूप में घोषित किया गया। इस परिणामस्वरूप, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (जिसे इसके बाद "विश्वविद्यालय" कहा जाता है) ने 2006 के लिए हरियाणा में मेडिकल/ डेंटल/ आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी किया और सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया। उक्त प्रॉस्पेक्टस में निम्नलिखित जानकारी भी शामिल थी:

> <u>एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस और बीएचएमएस में प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस:</u>
>
> हरियाणा की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2006 के लिए एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन का काम एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक को सौंपा है। प्रॉस्पेक्टस और परीक्षा आयोजन के बारे में दी गई जानकारी उन्होंने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की है।
>
> भारत के मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कुछ मामलों में दिशाएं दी है कि प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना आदि को मान्य सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशाओं के अनुसार किया जाएगा। प्रॉस्पेक्टस में प्रत्येक कॉलेज/संस्थान के लिए दिखाए गए कुल सीटों में से 15% सीटें एनआरआई के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। <u>निजी प्रबंधित असहायता सहायता मेडिकल/डेंटल/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक संस्थानों में,</u>

सीटें एक अलग परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी, जो उन्हीं प्रकार के कॉलेजों के संघ द्वारा आयोजित की जाएगी (यदि वह कॉलेज उस प्रकार का होता है, तो उस कॉलेज द्वारा) या राज्य प्रवेश समिति/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार।

(4) प्रवेश प्रक्रिया के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा की समय सारणी भी दिखायी गई थी। आवेदन पत्रों के प्राप्त करने की आखिरी तारीख 15 मई, 2006 के रूप में दी गई थी। प्रवेश परीक्षा 4 जून, 2006 को आयोजित की जाने वाली थी। उक्त परीक्षा का परिणाम 8 जून, 2006 को घोषित किया जाने वाला था। इसमें भी दिखाया गया था कि प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर, 2006 तक पूरी होगी। प्रॉस्पेक्टस में हरियाणा में संबद्ध मेडिकल/डेंटल कॉलेजों की एक सूची भी शामिल थी। प्रॉस्पेक्टस में कहा गया था कि "वर्तमान में विभिन्न हरियाणा विश्वविद्यालयों से जुड़े निम्नलिखित मेडिकल/डेंटल कॉलेज हैं। प्रॉस्पेक्टस के अध्याय-IV में प्रत्येक कॉलेज में की जाने वाली अनुमानित सीटों की संख्या दी गई है। कॉलेजों और सीटों की संख्या सत्यापन के लिए है और इसे परामर्श से पहले समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से घोषित किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अनएडेड निजी संस्थानों के नाम सूची में भी शामिल थे।"

(5) प्रॉस्पेक्टस के अध्याय-एच में पात्रता शर्तों का विवरण दिया गया है।

• पात्रता शर्तों का खंड ए इस प्रकार है:

(क) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 16/24/2005-3HB-IV दिनांक 23 फरवरी, 2006 के अनुसरण में, हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के निम्नलिखित उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार/संशोधन किया गया है। निजी तौर पर प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए एक अलग सूची तैयार करने के लिए एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस/बीएचएमएस पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में भी शामिल होना होगा।"

(6) 14 मार्च, 2006 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर और प्रॉस्पेक्टस में हरियाणा राज्य के विभिन्न असहायक मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के नामों की उल्लेख के आधार पर, याचिकर्ताओं ने यह दावा किया है कि 4 जून, 2006 को आयोजित प्रवेश परीक्षा हरियाणा राज्य के सभी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों सहित निजी असहायक संस्थानों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा थी। याचिकर्ताओं द्वारा यह भी दावा है कि उन्होंने उक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है और उन्होंने इस परीक्षा में प्राप्त की गई मेरिट पोजिशन के आधार पर मेडिकल/डेंटल कॉलेजों सहित हरियाणा राज्य के सभी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों, सहित निजी असहायक और स्ववित्त संस्थानों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में पात्रता/प्रवेश का दावा किया है।

(7) ध्यान देने योग्य है कि संघ-उत्तरदायी संख्यांक 4 ने 12 जून, 2006 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें यह सूचित किया गया था कि उत्तरदायी स्ववित्त मेडिकल कॉलेजों का संघ, हरियाणा में स्ववित्त/असहायक मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य आईएमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें यह भी सूचित किया गया था कि उक्त प्रवेश परीक्षा को हरियाणा सरकार द्वारा गठित राज्य प्रवेश समिति द्वारा पूरी तरह से मंजूरी दी गई थी। उपस्थित याचिका के साथ उक्त विज्ञापन की प्रतिलिपि P/3 के रूप में प्रस्तुत याचिका के साथ जोड़ी गई है। उक्त विज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि प्रवेश परीक्षा के लिए एक अनुसूची भी बनाई गई थी। प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस 15 जून, 2006 से उपलब्ध होने थे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 26 जून, 2006 के रूप में दी गई थी। प्रवेश परीक्षा 9 जुलाई, 2006 को होने वाली थी। उक्त विज्ञापन में भाग लेने वाले संस्थानों की भी एक सूची दिखाई गई थी। उक्त सभी भाग लेने वाले संस्थान हरियाणा राज्य के निजी असहायक/स्ववित्त मेडिकल कॉलेज हैं।

(8) वर्तमान याचिका 3 जुलाई, 2006 को दायर की गई थी जिसमें उपरोक्त निजी स्ववित्तपोषित गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में अलग प्रवेश

परीक्षा का आयोजन करने और स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत को चुनौती दी गई थी।

(9) प्राथमिक प्रायाद्वीप निर्धारित वादी द्वारा किये गए दावों का खंडन किया गया है। दो अलग-अलग लिखित बयान दाखिल किए गए हैं। उत्तरदायी संख्यांक 1 से 3 द्वारा जमा किए गए छोटे उत्तर में यह दावा किया गया है कि मुख्य न्यायालय द्वारा प्रदर्शित कानून के अनुसार, मान्य सर्वोच्च न्यायालय के मामले पी. ए. इनामदार में, अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक असहायक संस्थान अपने हिसाब से छात्रों को दाखिल कर सकते हैं और राज्य सरकार इस प्रकार की संस्थानों में किसी कोटा या प्रवेश की किसी भर्ती की कोई प्रतिशत को लागू नहीं कर सकती। उपर्युक्त आधिकारी उन संस्थानों के लिए भी दावा करते हैं कि जो किसी राज्य में स्थित होते हैं, वे मिलकर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मुख्य न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रकार, जिसमें उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज द्वारा अध्यक्षित राज्य प्रवेश समिति शामिल है, इन संस्थानों को एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। एक प्रतिलिपि जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, सदस्य सचिव, राज्य प्रवेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा आवंटित किया गया था, जिसमें स्ववित्त मेडिकल कॉलेजों के संघ के प्रेसिडेंट के नाम पर मुहड़े की प्रति, 2006 के लिए हरियाणा में निजी असहायक कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने की अनुमति दी गई थी, इसे छोटे उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया है।

(10) उत्तरदायी संख्यांक 4 और 5 द्वारा दायर अलग-अलग लिखित बयान में, एक समान दलील ली गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में आठ निजी स्ववित्त मेडिकल/डेंटल कॉलेज हैं और उनमें से प्रत्येक कॉलेज में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में प्रवेश उपर्युक्त कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्ववित्त मेडिकल कॉलेजों के संघ द्वारा आयोजित परीक्षा

के आधार पर किया जाना है। उक्त उत्तरदायी संख्यांक ने भी दावा किया है कि संघ ने हरियाणा राज्य प्रवेश समिति को इन कॉलेजों में प्रवेश के उद्देश्य से आखिरी तारीख के लिए सभी भारतीय में सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधित्व किया था। उक्त प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक अनुमति दिनांक 7 जून, 2006 को जारी की गई। उक्त प्रवेश समिति ने संघ द्वारा प्रस्तावित प्रॉस्पेक्टस को भी मंजूरी दी थी। उन्होंने अपने लिखित बयान के साथ उक्त उत्तरदायी संख्यांक के लिखित बयान के साथ अधिसूचित र/4 के रूप में उक्त प्रतिपत्रित किया गया है। (हम यह नोट करते हैं कि यह प्रतिपत्रित वही प्रतिपत्रित है जो उत्तरदायी संख्यांक 1 से 3 के छोटे उत्तर के साथ अधिसूचित आर/1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है)। उक्त सामान्य प्रवेश परीक्षा 9 जुलाई, 2006 को आयोजित की गई थी। इस सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम 11 जुलाई, 2006 को वेबसाइट पर घोषित किया गया था, और अलग-अलग अखबारों में भी सूचनाएँ जारी की गई थी। उत्तरदायी संख्यांक ने विस्तार से बताया है कि 2367 छात्र प्रवेश परीक्षा में भाग लिए और 812 छात्र उके प्रवेश परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करके पास हो गए और उनमें से 524 को प्रवेश परीक्षा में निर्धारित मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया गया। 25 जुलाई, 2006 को लिखित बयान को दाखिल करने की तिथि पर भी 113 सीटें अभी भी खाली पड़ी थीं और उत्तरदाताओं ने कहा था कि उपरोक्त सीटें अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाली दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी। उपरोक्त उत्तरदाताओं ने यह भी बताया है कि काउंसलिंग सरकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों राष्ट्रीय सूचना केंद्र से श्री राहुल जैन और डॉ. आर.एस. दहिया, सर्जरी के प्रोफेसर, पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक की उपस्थिति में की गई थी। सभी प्रवेश पर्चियों पर उपरोक्त सरकारी पर्यवेक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से, उक्त उत्तरदाताओं ने यह भी कहा है कि कुल 31 याचिकाकर्ताओं में से 20 याचिकाकर्ताओं ने आयोजित प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन किया था। उत्तरदाता संख्या 4 और 17 याचिकाकर्ता, वास्तव में, 9 जुलाई, 2006 को उक्त परीक्षा में

उपस्थित हुए थे और वास्तव में 11 याचिकाकर्ता, अर्थात्। याचिकाकर्ता संख्या 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22 और 27 को उनकी योग्यता स्थिति और परामर्श के परिणामस्वरूप प्रवेश दिया गया है।

(11) हमने याचिका के लिए याचिककर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री आर.एस. मित्तल, तथा श्रीमती अलका चत्रथ, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए श्री अशोक जिंदाल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा और श्री राजीव आत्मा राम, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुन लिया है तथा उनकी सहायता से केस के रेकॉर्ड का अवलोकन भी कर लिया है।

(12) श्री आर.एस. विद्वान वरिष्ठ वकील मित्तल ने सख्ती से यह तर्क दिया है कि हरियाणा राज्य में निजी गैर-सहायता प्राप्त/स्व-वित्तपोषित मेडिकल/डेंटल संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा शुरू की गई अलग और स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, यद्यपि न तो कानून में इसके लिए अलग प्रक्रिया की अनुमति दी गई थी और न ही यह तथ्यात्मक रूप से उचित थी क्योंकि प्रॉस्पेक्टस एम.डी. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसे 14 मार्च, 2006 की एक अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा राज्य में मेडिकल और डेंटल कॉलेजो में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त तथ्य के आधार पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि हरियाणा राज्य में किसी भी निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थान ने कभी भी कोई विरोध नहीं जताया था और न ही किसी भी समय कोई स्पष्टीकरण जारी किया था, इसलिए उक्त निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई सामान्य प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार करने के बाद, ऐसे संस्थानों के लिए बाद में सामान्य प्रक्रिया से हटना संभव नहीं था। विद्वान वकील ने पी.ए. इनामदार में न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर भी मजबूत भरोसा जताया है। इनामदार के मामले में यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार के लिए उन संस्थानों

में प्रवेश के लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित करना अस्वीकार्य नहीं था जो निजी स्व-वित्तपोषित/गैर सहायता प्राप्त संस्थान थे और एक बार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय ने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी तो, फिर बाद में ऐसे निजी संस्थानों में अलग से परीक्षा आयोजित करने और प्रवेश के लिए स्वतंत्र कार्यवाही शुरू करने के किसी स्वतंत्र अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

(13) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत पूरी तरह से तथ्यात्मक स्थिति की गलत धारणा पर आधारित थी और इसका कोई कानूनी आधार भी नहीं था। श्री आत्मा राम ने प्रॉस्पेक्टस (निर्णय के उपरोक्त भाग में निकाले गए) में विशिष्ट प्रविष्टि की ओर इशारा किया है जिसमें यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि निजी तौर पर प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल/डेंटल/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक संस्थानों में सीटें एक अलग माध्यम से भरी जाएंगी जिसका परीक्षण समान प्रकार के कॉलेजों के एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार, विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि एक बार जब हरियाणा राज्य में निजी तौर पर प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों की सीटों का विशेष बहिष्कार किया गया था, यहां तक कि प्रॉस्पेक्टस में भी, तब भी किसी ने विरोध पर कोई सवाल नहीं किया था, जो कि आवश्यक था और इसलिए ऐसे संस्थानों द्वारा उठाए गए मुद्दे और, सरकारी संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई प्रवेश प्रक्रिया में ऐसे संस्थानों द्वारा किसी भी तरह की सहमति का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

(14) हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विधिवत विचार कर लिया है और पक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में उठाई गई विभिन्न दलीलों पर भी गौर कर लिया है।

(15) सबसे पहले, तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए, हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि जब वर्ष 2006 में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14 मार्च 2006 को अधिसूचना के आधार पर मेडिकल/डेंटल/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था, तब भी गैर सहायता प्राप्त चिकित्सा/दंत/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक संस्थानों को इससे बाहर रखा गया था। यह भी निर्धारित किया गया कि उपरोक्त कॉलेजों में सीटें एक अलग परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी जो एक ही प्रकार के कॉलेजों के एसोसिएशन या राज्य प्रवेश के निर्देशों के अनुसार समिति या राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाएंगी (कॉलेज यदि उस कॉलेज में एक ही कॉलेज है)। उक्त प्रविष्टि हमारे द्वारा निर्णय के पहले भाग में शब्दशः (और रेखांकित) की गई है और प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 4 पर दी गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विवरणिका ने स्वयं यह निर्धारित किया था कि निजी तौर पर प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों के संबंध में प्रवेश प्रक्रिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक अलग परीक्षा के माध्यम से या राज्य प्रवेश समिति या राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आयोजित की जानी थी। हमने राज्य प्रवेश समिति द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष को जारी किए गए दिनांक 7 जून, 2006 के संचार (अनुलग्नक आर/एल) पर ध्यान दिया है, जिसके तहत आयोजन की अनुमति दी गई है। राज्य प्रवेश समिति द्वारा एसोसिएशन को सामान्य प्रवेश परीक्षा की अनुमति दे दी गई है। जिस तरीके से परीक्षा आयोजित की जानी थी और जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना था, उसके संबंध में राज्य प्रवेश समिति द्वारा एसोसिएशन को विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा के आयोजन और काउंसलिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए सरकारी पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था। उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 का विशिष्ट मामला यह है कि परीक्षण 9 जुलाई, 2006 को एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था और इसकी देखरेख स्वास्थ्य सचिव और उनकी 28 अधिकारियों की टीम ने की थी। उपरोक्त प्रवेश परीक्षा के परिणामस्वरूप काउंसलिंग सरकार द्वारा नियुक्त

पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी और प्रवेश पर्चियों पर उपरोक्त सरकारी पर्यवेक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इन परिस्थितियों में, हम तथ्यों पर संतुष्ट हैं, कि प्रॉस्पेक्टस में हरियाणा राज्य में निजी तौर पर गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल/डेंटल संस्थान एसोसिएशन द्वारा एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया था। इन परिस्थितियों में ऐसे संस्थानों या एसोसिएशन की ओर से किसी भी तरह की सहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता।

(16) इस स्तर पर, हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की ओर से उठाए गए तर्क पर भी ध्यान दे सकते हैं कि उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 को राज्य प्रवेश समिति द्वारा संचार दिनांक 7 जून, 2006 के तहत अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई और केवल राज्य प्रवेश समिति द्वारा दी गई उक्त अनुमति के आधार पर, उक्त उत्तरदाताओं ने निजी स्व-वित्तपोषित/गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उपरोक्त उत्तरदाताओं द्वारा एक आपत्ति यह उठाई गई कि 6 जून, 2006 की पूर्वोक्त अनुमति को याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी समय चुनौती नहीं दी गई है और, इस प्रकार उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 की कार्रवाई, जो केवल 7 जून 2006 की अनुमति की परिणामी थी, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हम उत्तरदाताओं की ओर से उठाई गई उपरोक्त आपत्ति में बल पाते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा 3 जुलाई, 2006 को दायर की गई थी। विज्ञापन दिनांक 12 जून, 2006 और प्रवेश परीक्षा दिनांक 25 जून, 2006 के नोटिस को चुनौती दी गई है। वास्तव में, उक्त विज्ञापन जारी किया गया था और राज्य प्रवेश समिति द्वारा उन्हें 7 जून, 2006 को दी गई अनुमति के क्रम में उपरोक्त उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 द्वारा प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई थी। 7 जून, 2006 के संचार/अनुमति को याचिकाकर्ताओं द्वारा बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार, हम

पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका इस आधार पर भी विफल होने के लिए उत्तरदायी है।

(17) निजी स्ववित्तपोषित/गैर सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजो द्वारा एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया की वैधता और एक अलग और स्वतंत्र चयन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उत्तरदाताओं की ओर से हमारे सामने बहुत लंबी दलीलें दी गई हैं। । वहीं, दूसरी ओर से याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि उपरोक्त प्रक्रिया टिकाऊ नहीं थी। राज्य के साथ-साथ ऐसे कॉलेजों के एसोसिएशन ने भी उक्त प्रक्रिया का समर्थन किया। सभी विद्वानों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य[1] के निर्णय पर भरोसा दिखाया।

(18) शीर्ष अदालत के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने **टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य**[2] मामले का फैसला किया। पहले के विभिन्न मामलों में निर्धारित किया गया कानून: **उन्नी कृष्ण बनाम राज्य आंध्र प्रदेश**[3]**, सेंट स्टीफ़न कॉलेज बनाम विश्वविद्यालय दिल्ली**[4]**, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य**[5]**, और पुनः: केरल शिक्षा विधेयक, 1975**[6] की जांच की गई। पाई फाउंडेशन में 11 प्रश्न उत्तर देने के लिए रखे गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 21 और 29 (1) के तहत गैर-अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकारों से संबंधित पाई फाउंडेशन में पूछे गए प्रश्न 10 और 11 में पूछा गया है कि क्या गैर-अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संस्थान के समान अधिकार प्राप्त थे और क्या उन्हें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संविधान के तहत दिया गया था। उक्त प्रश्नों

---

[1] J.T. 2005(7) S.C. 313
[2] J.T. 2002 (9) S.C. 1
[3] J.T. 1993 (1) S.C. 474
[4] 1991 (1) S.C. 548
[5] (1974) 1 S.C.C. 717
[6] (1958) S.C.R. 995

का उत्तर बहुमत द्वारा यह मानते हुए दिया गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 26 के तहत सभी नागरिकों और विशेष रूप से अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को दिया गया है। माना गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का उपरोक्त अधिकार अनुच्छेद 19(6) और 26(ए) के प्रावधान के अधीन था। पाई फाउंडेशन में फैसला सुनाए जाने के बाद भारत संघ, विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षा संस्थानों ने बहुमत के फैसले को अपने-अपने तरीके से समझा। इसलिए, कुछ परस्पर विरोधी विचार थे। नतीजतन, इस मामले को **इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य**[7] के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा विचार के लिए लिया गया था। इस्लामी अकादमी में निम्नलिखित चार प्रश्न विचार हेतु उठे :

(1) क्या शिक्षण संस्थान अपनी स्वयं की शुल्क संरचना को ठीक करने के हकदार हैं?

(2) क्या अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक ही पायदान पर खड़े हैं और उनको समान अधिकार प्राप्त हैं;

(3) क्या निजी गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेज अपनी 100 % सीटें भरने के हकदार है और यदि नहीं, तो किस सीमा तक सीट भर सकते है; और

(4) क्या निजी गैर सहायता प्राप्त प्रोफेशनल कॉलेज अपनी स्वयं की पद्धति विकसित करके छात्रों को प्रवेश देना के हकदार हैं;"

(19) इस्लामी अकादमी **के मामले में** बहुमत के निर्णय द्वारा दिए गए उत्तर **को** पी.ए. फाउंडेशन के फैसले **में** से **सारांश निकाला गया:**

(1) इस्लामिक अकादमी के मामले के बाद, पी.ए. के मामले में मामले को फिर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए

[7] J.T. 2003 (7) S.C. 1

उठाया गया। इनामदार. पाई फाउंडेशन में निर्धारित कानून के साथ-साथ इस्लामिक अकादमी में की गई कुछ टिप्पणियों को और स्पष्ट किया गया। विवाद की जांच करते समय न्यायालय द्वारा विवाद को हल करने के लिए निम्नलिखित चार प्रश्न तैयार किए गए:

(2) व्यावसायिक संस्थानों में, चूंकि उनको सहायता प्राप्त नहीं हैं, इसलिए उनके प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता होगी, लेकिन योग्यता के सिद्धांत का त्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पेशे में उत्कृष्टता राष्ट्रीय हित में है।

(3) गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किए बिना, योग्यता आधारित प्रवेश के उद्देश्य को मान्यता प्रदान करने की शर्त के रूप में जोर देकर सुरक्षित किया जा सकता है और योग्यता की मान्यता के अधीन, प्रबंधन को छात्रों को प्रवेश देने में कुछ विवेक दिया जा सकता है।

(4) प्रबंधन अपने विवेक से छात्रों को प्रवेश देने के लिए कोटा रख सकता है, लेकिन यह योग्यता आधारित प्रवेश की कसौटी पर खरा उतरने पर निर्भर करेगा, जिसे अनुमति देकर हासिल किया जा सकता है। प्रबंधन एक केंद्रीकृत तंत्र द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से अपनी पसंद के छात्रों को चुनेगा। ऐसी सामान्य प्रवेश परीक्षा राज्य या किसी अन्य समान रूप से राज्य में स्थित संस्थानों के संघ द्वारा आयोजित की जा सकती है ।

(5) राज्य समाज के आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान कर सकता है।

(20) सीटों के प्रतिशत के लिए निर्धारण, अर्थात् विभिन्न कोटा का आवंटन, जैसे प्रबंधन सीटें, राज्य का कोटा, राज्य द्वारा विनियोजित आरक्षित श्रेणियों आदि के आवंटन को राज्य द्वारा "स्थानीय आवश्यकताओं" और राज्य में उस अल्पसंख्यक समुदाय के हितों/आवश्यकताओं, दोनों पर सर्वोपरि विचार करके किया जाना

चाहिए। 'स्थानीय आवश्यकताओं' की सटीक अवधारणा स्पष्ट नहीं की गई है। इस दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है। सामान्य प्रवेश परीक्षा के पक्ष में इस्लामी अकादमी में बहुमत के साथ प्रबल विचार यह था कि विभिन्न कॉलेजों के व्यक्तिगत परीक्षणों में उपस्थित होने में असहाय छात्रों को बड़ी कठिनाई और भारी लागत से बचाना था।

(1) राज्य किस हद तक गैर सहायता प्राप्त (एम अल्पसंख्यक या गैर अल्पसंख्यक) शैक्षणिक संस्थानों किये गये प्रवेशों को विनियमित कर सकता है?

(2) क्या गैर-सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक) शैक्षणिक संस्थान अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं या क्या राज्य या संस्थानों के संघ द्वारा अनिवार्य रूप से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और वहां प्रवेश के हकदार छात्रों में से चयन करने के लिए इस्लामिक अकादमी में निर्देश दिए गए हैं जिनहे पाई फाउंडेशन में निर्धारित कानून के आलोक में कायम रखा जा सकता है?

(3) क्या इस्लामिक अकादमी छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को देय शुल्क को विनियमित करने के मामले में दिशानिर्देश जारी कर सकती थी?

(4) क्या प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित किया जा सकता है या इस्लामी अकादमी द्वारा गठित समितियों द्वारा आदेश में दिया जाएगा?

(21) वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों के संबंध में, हम मुख्य रूप से केवल प्रश्न 1 और 2 से चिंतित हैं, जो पी.ए. इनामदार के मामले में प्रस्तुत किए गए हैं। हम उपरोक्त दो प्रश्नों के संबंध में पी.ए. इनामदार

के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देंगे। पाई फाउंडेशन में, इस्लामिक एकेडमी में और पी.ए. इनामदार के मामले में भी, दान या लाभ के लिए एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को अनुच्छेद 19(i)(g) द्वारा एक व्यवसाय के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया है, हालाँकि, वह अनुच्छेद 19 के खंड 6 द्वारा नियंत्रण करने के अधीन है। भारत के संविधान के अनुसार उपरोक्त अधिकार अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक के बीच कोई अंतर किए बिना, सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, यह माना गया है कि उपरोक्त अधिकार पर आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 19 के खंड 6 द्वारा नियंत्रण के अधीन है। अल्पसंख्यकों के पक्ष में अनुच्छेद 30(1) के तहत कुछ अतिरिक्त सुरक्षा को मान्यता दी गई है।

(22) इस स्तर पर, हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी, ए. इनामदार के मामले में की गई टिप्पणियों को विस्तार से देख सकते हैं:

> "128. जहां तक राज्य द्वारा कोटा के विनियोजन और इसकी आरक्षण नीति को लागू करने का सवाल है, हम गैर-अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के बीच ज्यादा अंतर नहीं देखते हैं। हमें याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलील में बहुत ताकत मिलती है कि राज्य के पास प्रबंधन और राज्य के बीच सीट का कोटा तय करके गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में सीट साझा करने पर जोर देने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य उन निजी शैक्षणिक संस्थानों पर जोर नहीं दे सकता है जिन्हें राज्य से कोई सहायता नहीं मिलती है कि वे कम प्रतिशत अंकों पर, यानी योग्यता को छोड़कर अन्य मानदंड पर प्रवेश के लिए आरक्षण पर राज्य की नीति को लागू करें।
>
> 129. हमारी समझ के अनुसार, न तो **पै फाउंडेशन** के निर्णय में और न ही **पै फाउंडेशन** द्वारा मंजूर किए गए संविधान बेंच

वाले **केरल एजुकेशनल बिल** के निर्णय में, ऐसा कुछ भी है जो राज्य को गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित या नियंत्रित करने की अनुमति देगा ताकि उन्हें राज्य द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों का एक हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसे कि वह ऐसे निजी संस्थानों में अपने विवेक पर भरने के लिए उपलब्ध सीटों को भर रहा हो। यह सीटों के राष्ट्रीयकरण के समान होगा जिसे विशेष रूप से पाई फाउंडेशन में अस्वीकृत किया गया है। राज्य सीटों पर कोटा लागू करना या गैर सहायता प्राप्त सीटों पर राज्य की आरक्षण नीति लागू करना, व्यावसायिक संस्थान निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार और स्वायत्तता पर गंभीर अतिक्रमण करने वाले कार्य हैं। सीटों के इस तरह के विनियोजन को अनुच्छेद 30(1) के अर्थ में अल्पसंख्यकों के हित में एक नियामक उपाय या संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अर्थ में उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है। केवल इसलिए कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य के संसाधन सीमित हैं, निजी शैक्षणिक संस्थान, जो बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का इरादा रखते हैं, उन्हें कम मेधावी उम्मीदवार को आरक्षण नीति के आधार पर प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है। सहायता रहित संस्थाएँ चूंकि वे राज्य निधि से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-शोषणकारी और योग्यता के आधार पर अपना प्रवेश ले सकते हैं।

130. पाई फाउंडेशन में बहुमत की राय के पैराग्राफ 68 में निर्णय के भाग में की गई टिप्पणियाँ, जिस पर पार्टियों के विद्वान वकील अपने प्रस्तुतीकरण में बहुत भिन्न रहे हैं, हमारे अनुसार, अन्य से असंबद्ध रूप से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। पाई फाउंडेशन के फैसले के कुछ पैराग्राफों में कुछ टिप्पणियाँ शामिल हैं जिनहे यदि अलग से पढ़ा जाए तो वे एक-दूसरे के साथ विरोधाभासी या असंगत दिखाई देती हैं।

लेकिन अगर की गई टिप्पणियों और निकाले गए निष्कर्षों को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो अब यहां निर्णय यह बताता है कि राज्य की बिना सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाएँ साझाकरण और आरक्षण नीति निर्धारित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। निर्णय के प्रासंगिक भागों को पढ़ना जिस पर विद्वान वकील ने टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ की हैं और पूरे निर्णय का मूल्यांकन (इस न्यायालय के पिछले निर्णय, जिन्हें पाई फाउंडेशन में अनुमोदित किया गया है के प्रकाश में) हमारी सुविचारित राय में, अनुच्छेद 68 में टिप्पणियाँ केवल गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों को राज्य के साथ सीट साझा करने के लिए स्वेच्छा से सहमति देकर या राज्य की सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन को अपनाकर प्रवेश के मानदंड के रूप में योग्यता बनाए रखना होगा। ऐसी टिप्पणियाँ भी हैं जिनमें कहा गया है कि वे जरूरतमंद और गरीब छात्रों को मुफ्त और छात्रवृत्ति देने के लिए अपनी नीति बना सकते हैं या समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप नीति अपना सकते हैं।

131. पाई फाउंडेशन में कहीं भी, चाहे बहुमत में हो या अल्पसंख्यक की राय में, हमें गैर-सहायता प्राप्त निजी पेशे और शैक्षणिक संस्थानों पर राज्य द्वारा सीट साझा कोटा लागू करने के लिए कोई संस्थान, राज्य या राज्य कोटा सीटों या प्रबंधन सीटों की आरक्षण नीति नहीं मिली है।

132. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पाई फाउंडेशन में पैराग्राफ 68 में की गई टिप्पणियाँ और अन्य पैराग्राफ में कोटा के प्रतिशत के निर्धारण का उल्लेख किया गया है कि उन्हे संभावित सहमति व्यवस्था के रूप में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जो बिना सहायता प्राप्त निजी पेशेवर संस्थान और राज्य के बीच हो सकती है ।

133. पाई फाउंडेशन में कई स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रक्रिया और शुल्क संरचना में गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों को प्रवेश के निर्धारण में अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। राज्य विनियमन न्यूनतम होना चाहिए ताकि केवल प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखी जा सके और अत्यधिक धन या कैपिटेशन फीस वसूलकर छात्रों के शोषण को रोका जा सके।

134. उपरोक्त कारणों से, हम इस्लामिक अकादमी की इस योजना को मंजूरी नहीं दे सकते जो इस हद तक विकसित हुआ कि यह राज्य को अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों श्रेणियों के गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंधन और राज्यों के बीच सीट साझा करने के लिए कोटा तय करने की अनुमति देता है। इस्लामिक अकादमी के निर्णय का यह भाग हमारे विचार में सही नहीं है और पाई फ़ाउंडेशन के विरुद्ध दिया गया है।

एनआरआई सीटें

135. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

136. पहले प्रश्न पर हमारा उत्तर यह है कि न तो आरक्षण की नीति राज्य द्वारा लागू की जा सकती है और न ही किसी अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में राज्य द्वारा प्रवेश के लिए कोई कोटा या प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के साथ-साथ अन्य राज्यों के अपने स्वयं के समुदाय के सदस्यों सहित, अपनी पसंद के छात्रों को एक सीमित सीमा तक इस तरीके से प्रवेश दे सकती है कि उनका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा ख़त्म न हो जाए। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) की सुरक्षा खो देते हैं।

प्रश्न.2. अनएडेड शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया:

137. जहां तक अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में छात्रों को प्रवेश देने का संबंध है, जो "किसी संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार" के घटकों में से एक है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। स्नातक स्तर तक शिक्षा, अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।

138. हालाँकि, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अलग-अलग विचार लागू होंगे। ऐसी शिक्षा किसी भी संस्थान द्वारा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसे कानून द्वारा बनाए गए यूनिवर्सिटी बोर्ड, केंद्र या राज्य द्वारा या उससे संबद्ध सरकार या किसी भी सक्षम प्राधिकारी से मान्यता न प्राप्त हो। शिक्षा में उत्कृष्टता और इस स्तर पर उच्च मानकों का रखरखाव आवश्यक है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राज्य को राष्ट्रीय हित में कदम उठाना चाहिए। इस स्तर पर व्यक्तियों के पास मौजूद शिक्षा, ज्ञान और शिक्षा सामूहिक रूप से राष्ट्रीय संपत्ति का गठन करती है।

139. पाई फाउंडेशन ने पहले ही माना है कि शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण राज्यों को इकाई मानकर किया जाना है। उस समुदाय के छात्र अन्य राज्यों में रहने वाले जहां वे अल्पसंख्यक नहीं हैं, उन्हें उस विशेष राज्य में अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा और इसलिए उनका प्रवेश उस राज्य के अन्य गैर-अल्पसंख्यक छात्रों के बराबर होगा। ऐसे प्रवेश केवल एक सीमित सीमा तक ही होंगे जो कि ऐसे प्रवेशों के 'छिड़काव' की तरह है जो शब्द हमने पहले केरल शिक्षा विधेयक 1957 से उधार लेकर इस्तेमाल किया है। सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश राज्य स्तर पर होंगे। पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करनी होगी।

140. चाहे अल्पसंख्यक हों या गैर-अल्पसंख्यक संस्थान, किसी भी राज्य में किसी एक विषय में शिक्षा प्रदान करने वाले एक से अधिक समान

स्थित संस्थान हो सकते हैं। शिक्षा के किसी एक अनुशासन में शिक्षा लेने के लिए प्रवेश चाहने वाले एक ही अभ्यर्थी को कई संस्थानों से प्रवेश फॉर्म खरीदना होगा और एक ही या अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कई प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होना होगा और तारीखों में टकराव हो सकता है। यदि एक ही उम्मीदवार को कई परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है, तो उसे अनावश्यक और परिहार्य व्यय और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। समान या समान शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के एक समूह के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं है। एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में स्थित ऐसे संस्थान एक साथ मिलकर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं या राज्य स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से ऐसी परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कर सकता है। ऐसी सामान्य योग्यता सूची में से सफल उम्मीदवारों की पहचान की जा सकती है और प्रस्तावित अध्ययन के पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या, संस्थान किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर विभिन्न संस्थानों में आवंटित किया जा सकता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (संक्षेप में सीईटी) आयोजित करने वाली ऐसी एजेंसी इस मामले में अत्यधिक विश्वसनीयता और विशेषज्ञता रखने वाली होनी चाहिए। इससे पारदर्शिता और योग्यता की दोहरी वस्तुओं की पूर्ति बेहतर ढंग से सुनिश्चित होगी। सीईटी उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के हित में और छात्र समुदाय को उत्पीड़न तथा शोषण से बचाने के लिए आवश्यक है। केंद्रीकृत परामर्श के बाद इस तरह की सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने या, दूसरे शब्दों में, प्रवेश को विनियमित करने वाली एकल खिड़की प्रणाली अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार में कोई सेंध नहीं लगाती है। ऐसे विकल्प का प्रयोग छात्रों की योग्यता के क्रम में बदलाव किए बिना, सीईटी में चुने गए सफल उम्मीदवारों की सूची में से किया जा सकता है ।

141. पाई फाउंडेशन ने माना है कि अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान वैध रूप से छात्रों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र मौलिक अधिकार का दावा कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया निष्पक्ष पारदर्शी और गैर-शोषक होने के अधीन है। यही सिद्धांत गैर अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी लागू होता है- । एक ऐसा संस्थान हो सकता है जो एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है जो किसी अन्य संस्थान द्वारा प्रदान नहीं की जाती है और उसकी अपनी प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष-पारदर्शी और गैर-शोषणकारी होने की कसौटी पर खरी उतरती है। समान व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थान उपरोक्त ट्रिपल परीक्षणों को पूरा करने वाली एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक साथ मिल सकते हैं। राज्य निष्पक्ष और योग्यता-आधारित प्रवेश सुनिश्चित करने और कुप्रशासन को रोकने के हित में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकता है। निजी संस्थान या संस्थानों के समूह द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया, यदि यह ऊपर बताए गए ट्रिपल परीक्षणों में से सभी या एवी को पूरा करने में विफल रहती है, तो राज्य द्वारा अपनी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करते हुए इसे अपने हाथ में लिया जा सकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

142. यह विशेष रूप से कहा जाना चाहिए कि योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीकृत और एकल खिड़की प्रक्रिया द्वारा प्रवेश को विनियमित करने की अनुमति होगी। ऐसी प्रक्रिया, काफी हद तक, पारदर्शी आधार पर प्रवेश की योग्यता का अनुदान सुरक्षित कर सकती है । जब तक नियम नहीं बन जाते, प्रवेश समितियां दाखिले की निगरानी कर सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्यता प्रभावित न हो।"

(जोर दिया गया)

(23) शीर्ष अदालत द्वारा पी.ए. इनामदार के मामले में की गई उपरोक्त टिप्पणियाँ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राज्यों को गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित या नियंत्रित करने की अनुमति दी गई तो उन्हें राज्य द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध सीटों का एक हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। ऐसे निजी संस्थानों में विवेकाधीन सीटें उपलब्ध हैं, इससे उन सीटों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा जिन्हें पाई फाउंडेशन में विशेष रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है। यह भी देखा गया है कि पई फाउंडेशन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अल्पसंख्यकों और गैर-अल्पसंख्यकों के गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों पर समान बल के साथ लागू किए गए थे। इन परिस्थितियों में, यह माना गया है कि ऐसे संस्थान स्नातक शिक्षा के स्तर पर अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक के लिए भी शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा और रखरखाव में उत्कृष्टता उच्च मानक प्राथमिक विचार होने के कारण पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में, निर्णय के पैरा 140 में की गई टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से यह प्रदान करती हैं कि हालाँकि अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के पास अपनी प्रवेश प्रक्रिया विकसित करने की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जब किसी राज्य में एक से अधिक समान संस्थान हों, तो छात्र समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए और अनावश्यक और परिहार्य व्यय और असुविधा से बचने के लिए समान शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थानों के समूह द्वारा एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में स्थित ऐसे संस्थान एक साथ मिलकर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं या राज्य स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से ऐसी परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कर सकते है। उपरोक्त प्रक्रिया पारदर्शिता और योग्यता के उद्देश्य को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करेगी। अगले निम्नलिखित पैरा 141 में, न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि समान या समान

व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थान उपरोक्त परीक्षाओं को पूरा करने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक साथ मिल सकते हैं और निष्पक्ष और योग्यता आधारित प्रवेश सुनिश्चित करने और कुप्रशासन को रोकने का हित में राज्य एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया प्रदान कर सकते है। शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया है कि यदि निजी संस्थानों या संस्थानों के समूह द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता और योग्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तो इस प्रक्रिया को राज्य द्वारा अपनी प्रक्रिया के स्थान पर अपने हाथ में लिया जा सकता है।

(24) शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी प्रक्रिया विकसित करने की स्वतंत्रता है और ऐसे मामले में जहां समान विषयों में समान शिक्षा प्रदान करने वाले एक से अधिक संस्थान हैं, तो सभी एक राज्य में स्थित उपरोक्त संस्थान एक साथ मिलकर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। इन में परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य अपना स्थानापन्न केवल तभी करेगा यदि किसी संस्थान या संस्थानों के समूह द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अनुचित और गैर-पारदर्शी और योग्यता को पराजित करने वाली पाई जाती है।

(25) तथ्यात्मक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए हमने ऊपर देखा है कि राज्य प्रवेश समिति ने हरियाणा राज्य में निजी गैर-सहायता प्राप्त मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के संघ को अपनी अलग प्रवेश परीक्षा और स्वतंत्र परामर्श आयोजित करने की अनुमति सरकारी पर्यवेक्षकों की निगरानी के अधीन दी जाती है। राज्य सरकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा का पर्यवेक्षकों द्वारा विधिवत निरीक्षण किया जाता है। सरकारी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में काउंसिलिंग भी की गई। प्रवेश पर्चियों पर उपरोक्त सरकारी पर्यवेक्षकों द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये थे। इस प्रकार, उत्तरदाता संख्या 4 और 5 ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.ए. इनामदार के मामले में निर्धारित आवश्यकताएँ पूरी तरह से संतुष्ट की है । नतीजतन,

हम यह नहीं पाते हैं कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई किसी दुर्बलता से ग्रस्त है या शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत मानी जा सकती है।

(26) इन परिस्थितियों में, हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई चुनौती में कोई योग्यता नहीं दिखती है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है।

<u>सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 9514 साल 2006</u>

(27) तीन याचिकाकर्ताओं ने 10 जून 2006 के विज्ञापन, अनुलग्नक पी/4, प्रॉस्पेक्टस अनुलग्नक पी/5 और 14 जून के विज्ञापन को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिससे 2006 एम.एम. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मुलाना, प्रतिवादी नंबर 4 ने उपरोक्त कॉलेज में एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी संख्या-4 कॉलेज द्वारा शुरू की गई उपरोक्त प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2005 की अधिसूचना के विपरीत थी जिसके तहत राज्य सरकार ने राज्य में स्थित सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अधिकार एकमात्र महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को दिया था।

(28) याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है और 20 अप्रैल, 2006 से पहले ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र से रोटेटरी इंटरशिप पूरी कर ली है। परिणामस्वरूप उनका दावा है कि वे हरियाणा राज्य में एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य हैं। 2 दिसंबर 2005 को सरकार ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (बाद में विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित) को राज्य में वर्ष 2006 के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा और एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और परिणाम

घोषित करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी घोषित किया था। विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के अनुसार, उपरोक्त प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 12 मार्च, 2006 को आयोजित की जानी थी और प्रवेश 27 मार्च, 2006 से प्रभावी होना था और प्रवेश करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2006 तक अधिसूचित की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र जमा कर दिए थे और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। काउंसलिंग 27 मार्च, 2006 से शुरू हुई और सरकारी डेंटल कॉलेज, रोहतक और डीएवी में विभिन्न एमडीएस पाठ्यक्रमों में, डेंटल कॉलेज, यमुनानगर में छात्रों की योग्यता के अनुसार। प्रवेश दिए गए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 10 जून 2006 को वर्ष 2006-07 में एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय (पीजी/एमडीएस) सामान्य प्रवेश टीएसटी आयोजित करने के लिए, अखबार में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी। एसोसिएशन/कॉलेज द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की एक अलग तारीख 18 जून, 2006 को अधिसूचित की गई थी। इसके अलावा यह दावा किया गया था कि कॉलेज द्वारा अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में पूर्णतया अवैध एवं विपरीत है, तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि कॉलेज द्वारा 18 जून, 2006 को आयोजित की जाने वाली परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि यानी 30 मई, 2006 से भी आगे थी। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(29) याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रतिवादियों ने विरोध किया है। उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से एक संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया गया है। उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 की ओर से एक विस्तृत लिखित बयान दाखिल किया गया। शुरुआत में, उत्तरदाताओं ने कहा कि 30 मई, 2006 की कटौती की तारीख को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अमित गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा 17 अप्रैल, 2006 के आदेश के तहत बढ़ा दिया था। यह भी कहा गया है कि शीर्ष

न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त/स्व-वित्तपोषित प्रवेश संस्थाएं हरियाणा राज्य द्वारा नहीं बल्कि ऐसी बनाई जानी थीं कि वे अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और अपनी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने की हकदार थी। उत्तरदाताओं ने यह भी कहा है कि राज्य प्रवेश समिति ने 7 जून, 2006 के आदेश के तहत कॉलेज को मंजूरी दे दी थी और उपरोक्त अनुमति के बाद, एमएम कॉलेज द्वारा 18 जून, 2006 को परीक्षा आयोजित की गई थी और परिणाम 20 जून, 2006 को घोषित किया गया और योग्यता के अनुसार सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग 22 जून, 2006 को की गई और परिणामस्वरूप प्रवेश दिए गए। उत्तरदाताओं ने कहा है कि कॉलेज द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया पी.ए. इनामदार के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप थी।

(30) हमने दोनों पक्ष के वकीलों को सुन लिया है और केस के रेकॉर्ड का अवलोकन भी कर लिया है।

(31) शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने राज्य द्वारा उत्तरदाताओं नंबर 4 को प्रवेश समिति द्वारा अनुमति दिए जाने को चुनौती नहीं दी जिसके तहत प्रतिवादी-कॉलेज को एक स्वतंत्र और अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। परिणामस्वरूप, हम यह पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई चुनौती, केवल परीक्षण का आयोजन जो की इसके द्वारा दी गई अनुमति के परिणामस्वरूप, बनाए रखने योग्य नहीं है। एक बार जब कॉलेज को दी गई अनुमति को चुनौती नहीं दी गई है, तो याचिकाकर्ताओं को यह दावा नहीं सुना जा सकता है कि कॉलेज द्वारा आयोजित अलग प्रवेश परीक्षा बिना किसी अधिकार के थी।

(32) हमने फैसले के उपरोक्त भाग में 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 9731 से निपटने के दौरान मामले में शामिल कानूनी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की है। उक्त निर्णय में हमारे द्वारा दर्ज किए गए

कारणों से हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे में कोई योग्यता नहीं मिलती है। वर्तमान रिट याचिका भी इसी के परिणाम बर्खास्त की जाती है।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा